I

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी,अरवल । 1136/10 वाद सं0- 234 /2011,धारा-147द•प्र•सं• वीर बहादुर सिंह वगैरह बनाम अजीज अंसारी वगैरह	
23•8•011	**आदेश** यह वाद धारा-144 द0 प्र0 सं0 से धारा- 147 द0 प्र0 सं0 में रूपान्तरण की गई है । उभय पक्षों से ब्यान- तहरीर की माँग की गई । द्वितीय पक्ष की ओर से धारा- 145(5) द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत वाद की कार्रवाई समाप्त करने हेतु आवेदन दाखिल की गयी। दाखिल आवेदन धारा- 145 (5) द0 प्र0 सं0 के विन्दू पर उभय पक्ष को सुना । प्रथम पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत खाता नं0- 12, प्लाट नं0- 03, रकबा- 1 कट्ठा मौजा- अंगारी चकिया, थाना- किंजर, जिला- अरवल, रास्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है जिस पर प्रथम पक्ष को सुधाधिकार मिलना चाहिए ।	

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3

उनका यह भी कहना है कि धारा- 145(5) द0 प्र0 सं0 का आवेदन संधारनिय नहीं है जिसे तत्काल प्रभाव से खारिज करना उचित है ।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद संचालन योग्य नहीं है और वाद की कार्रवाई समाप्त करना न्यायोचित है।उनका कहना है कि प्रश्नगत खाता- खेसरा की भूमि किंजर थाना अन्तर्गत अरवल जिला में अवस्थित है जबकि प्रथम पक्ष फालीगंज थाना अन्तर्गत पटना जिला के निवासी हैं।। इसलिए इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है,क्योंकि यह अन्तर जिला का मामला है जिसका निबटारा जिला स्तरीय न्यायालय या संस्था द्वारा हो सकता है । द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि उपरोक्त वाद नन-ज्वाईडर ऑफ पार्टी से ग्रसित है,क्योंकि जमीन के क्रेता- नवबुन निशा है, जबकि वाद अजीम अंसारी पर लाया गया